

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 24th DECEMBER, 1997.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 24th December, 1997.

CORRIGENDUM

S.O. (E) - In the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes) number, S.O. 371(E) dated the 7th day of May, 1997, published at pages 2 and 3 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th May, 1997, (at page 3, after line 16) insert the following namely :-

"EXPLANATORY MEMORANDUM

The investment pattern for Provident Fund, under the Income-tax Rules, 1962, is required to be notified on the basis of investment pattern notified by notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) No. F.11(1)-pd/96, dated the 17th March, 1997 which came into force with effect from 1-4-1997. The amendments in the Income-tax Rules, 1997 are therefore being notified with effect from 1-4-1997. The retrospective effect to this notification shall not prejudicially affect the interest of assesseees."

37
(JAI RAJ KAJLA)
(UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA)

F.No.142/28/97-TPL

Notification No. 10477

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-३, खण्ड-३, उपखण्ड ॥ ॥ ॥ में दिनांक -----
२ दिसम्बर, १९९७ को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

नई दिल्ली, दिनांक २५ दिसम्बर, १९९७

शृंखला पत्र

का०आ० ॥ अ० भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-३, खण्ड-३, उपखण्ड
॥ ॥ ॥, दिनांक ७ मई, १९९७ को उसके पृष्ठ । और २ पर प्रकाशित भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग [केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड] की दिनांक ७ मई, १९९७
की अधिसूचना सं. का.आ. ३७। ॥ अ० में ॥ पृष्ठ २ पर १६ वीं पंक्ति के पश्चात् ॥
निम्नलिखित को जोहा जाए, अर्थात् :-

"त्याख्यातमक ज्ञापन"

आयकर नियमावली, १९६२ के अन्तर्गत भविष्य निधि के लिए निवेश पद्धति
को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय [आर्थिक कार्य विभाग] की अधिसूचना सं० फा.
१११-पी.डी./९६, दिनांक १७ मार्च, १९९७ जो दिनांक १०.५.१९९७ से प्रवृत्त हुई
है, द्वारा अधिसूचित की गई निवेश पद्धति के आधार पर अधिसूचित किया जाना,
अपेक्षित है । अतः आयकर नियमावली, १९९७ में संशोधनों को दिनांक १०.५.१९९७ से
अधिसूचित किया जा रहा है । इस अधिसूचना की पूर्व त्यापित से कर निधीरितियों
के द्वितीय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

त्याख्यात ज्ञापन
जय राज लाला,
भवर तीचव, भारत सरकार

फा.सं. १२/२८/१९७-टी.पी.सल.

अधिसूचना सं. १०५७२